



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/24/2019/ 1322

दिनांक: 04.2019

सेवा में,

Shri Rohit Jain,  
Room B-17(Basement), IPD Building,  
SDM Hospital, Bapu Nagar,  
Jaipur-302015

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपके सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये आवेदन दिनांक 27.12.2018(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर को प्राप्त 26.03.2019) के संदर्भ में आपके द्वारा बांछित जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं"।

भवदीय,

— sd —

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.
2. The Joint Commissioner/CPIO, CGST & CE (Jaipur Zone), Jaipur in reference to letter F. No. CCO(J.Z.)/RTI/164/RJ/2018-19/2838 dated 26.03.2019

9/4/19

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

5  
8  
7  
8